तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
6-4-23	सरकार पैरोकार उप० | सरकार पैरोकार तहसीलदार लैण्ड होल्डर करौली द्वारा प्रा० पत्र बाबत पत्रावली तलब तथा दावा विड्रो प्रस्तुत किया गया। जिसमें प्रार्थी तहसीलदार लैण्ड होल्डर करौली द्वारा दरख्वास्त पेशकर निवेदन किया गया है कि इन दावों को विड्रो करना चाहते हैं। अतः आदेश प्रदान किये जाएं। उक्तानुसार सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के आदेश 23 नियम 1(1) के आधार पर वाद को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। न्यायालय invito beneficium non datur के सिद्धांत से बाध्य है। अतः वाद विड्रो करने के आदेश दिए जाते हैं। परन्तु साथ ही चूंकि वाद राजकीय पैरोकार द्वारा प्रस्तुत किया गया था व अब बिना किसी स्पष्ट कारण के विड्रो किया जा रहा है तो न्यायालय यह उचित समझता है कि राजकीय पैरोकार के उच्चाधिकारियों के संज्ञान में आवश्यक विभागीय कार्यवाही यदि चाही जावे हेतु लाया जाना उचित होगा। अतः उक्तानुसार तहरीर भी जारी की जाए।

उपखण्ड अधिकारी
करौली (राज०)